कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (राजस्थान)

क्रमांक : नपह/भूमि /2024/ दिनांकः

–: कार्यालय आदेश :–

नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के द्वारा चक नं. 2 एनडब्ल्यूएन मु.न. 56 प0न0 133/242 किला नं. 3/0.253, 4/0.253, 5/1/0.228, 6/1/0.228, 7/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.228, 18/0.253, 23/0.253 कुल 2.708 हैक्टयर भूमि में श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी/आयुक्त नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के पत्रांक 5170 से 5177 दिनांक 10.08.2023 एवं 5120 से 5123 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्रांक 1291 दिनांक 12.12.2023 द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है। परिषद एम्पावर्ड कमेटी बैठक क्रमांक दिनांक द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन किया जा चुका है एवं निमयन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त भूमि पर कॉलोनाईजर/खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य एन.ओ.सी. बाबत श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्रांक 1291 दिनांक 12.12.2023 को मध्य नजर रखते हुए तथा कोलोनाईजर द्वारा लिखित अण्डरटेकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयावधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या **A-25** से **A-29** (प्रत्येक साईज 20 गुणा 60 फीट) व **D-4** से **D-6** (प्रत्येक साईज 20 गुणा 60 फीट) **D-7** (साईज **16'9"x60'**) व **D-8** से **D-13** (प्रत्येक साईज **15'x60'**) कुल भूखण्ड परिषद् के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में कार्य पूरा न होने की दशा में रहनशुदा प्लाट परिषद् द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाईजरर्स / खातेदार ने स्वंय को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यों, अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है :–

1. स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ती व्यवस्था, सुविधा क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वंय कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वंय के खर्चे पर करवायें जावेंगें और इस संबंध में परिषद् किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
2. कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा स्वंय के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एंव कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में स्वंय के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
3. श्रीमान् वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग, बीकानेर जोन, बीकानेर के पत्रांक 1291 दिनांक 12.12.2023 को मध्य नजर रखते हुए समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या **A-25** से **A-29** (प्रत्येक साईज 20 गुणा 60 फीट) व **D-4** से **D-6** (प्रत्येक साईज 20 गुणा 60 फीट) **D-7** (साईज **16'9"x60'**) व **D-8** से **D-13** (प्रत्येक साईज **15'x60'**) कुल भूखण्ड परिषद् के पास रहन रहेंगे। कोलोनाईजर/ खातेदार द्वारा ज्यो–ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवायें जावेंगे, परिषद् द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यो के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लाट त्यों–त्यों रहन मुक्त किये जावेंगे। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में परिषद् द्वारा रहनशुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवायें जा सकें एवं शर्तो की पालना की जावेंगी।
4. संबंधित कोलोनाईजर/खातेदारों पर 100/– रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डों के विरूद्ध बैचान आदि करने पर नगरपरिषद् हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
5. रहन रखे गये भूखण्डों के अलावा अन्य भूखण्डों को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 10रू. के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

—Sd—
आयुक्त
नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

क्रमांक : नपह/भूमि /2024/1103
दिनांकः 29/1/2024

प्रतिलिपि –

1. खातेदार/कॉलोनाईजर श्री जितेन्द्र पाल पुत्र श्री आत्माराम एवं श्रीमती मन्जूला पत्नी श्री जितेन्द्र पाल निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. भूमि शाखा, नगरपरिषद् को रहन रखे गये भूखण्डों का नियमन नहीं करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

29/1/24
आयुक्त
नगरपरिषद्, हनुमानगढ़

कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ–राजस्थान

क्रमांक: 1005 | दिनांक: 25.1.25

एम्पावर्ड कमेटी बैठक

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय एवं श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव महोदय, नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/2021/68664–69454 दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान –2021 में प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सपठित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194 (194 की उपधारा (7), के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर), 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अंतर्गत नगरपालिका मण्डल को प्रदत्त शक्तियों एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई एवंम् नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग के आदेश कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/जयपुर दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 3 के द्वारा स्थानीय स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन के नियम 2010 के नियम 6 में स्थानीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को मास्टर प्लॉन/जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अनुरूप पट्टा शुद्धा भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन करने के अधिकार दिये गये है। अभियान अवधि में निकायो की एम्पावर्ड समिति द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी है।

अतः जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2021 एवंम् नगरपरिषद हनुमानगढ के कार्यालय आदेश कमांक एफ.8(भूमि) (PSKSA-2021)/2021/13593 दिनांक 12.10.2021 के अनुसार आज दिनांक 25.1.25.... को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए–

- माननीय सभापति नगरपरिषद हनुमानगढ़ – अध्यक्ष
- आयुक्त, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ – सदस्य सचिव
- अधिशाषी अभियन्ता, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ – सदस्य
- सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ – सदस्य
- लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ –विशेष आमंत्रित सदस्य
- विधिक सलाहकार, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ –विशेष आमंत्रित सदस्य

कमेटी के समक्ष निम्न प्रकार से प्रकरण विचार एवं निर्णय हेतु रखे गये :–

बिन्दू सं. 01 :– ले–आउट प्लॉन अनुमोदन करने बाबत् विचार विमर्श एवं निर्णय :–

प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 में मानचित्र अनुमोदन एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया है। एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष निम्नप्रकार से प्रस्तुत किये गये है :–

क.स.	खातेदार का नाम व पता	भूमि का विवरण	एसटीपी बीकानेर का पत्रांक व दिनांक	प्रयोजन

01/02

Scanned with OKEN Scanner

1	श्री जितेन्द्र पाल पुत्र श्री आत्माराम (1.443 है0) एवं श्रीमती मन्जुला पत्नी श्री जितेन्द्र पाल (1.2650 है0)	चक नं. 2 एनडब्ल्यूएन मु.न. 56 प0न0 133/242 किला नं. 3/0.253, 4/0.253, 5/1/0.228, 6/1/0.228, 7/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.228, 18/0.253, 23/0.253 कुल 2.708 हैक्टयर भूमि	1291 दिनांक 12.12.2023	वाणिज्यिक

निर्णय :–समिति द्वारा पत्रावलियों का गहनता से अध्ययन किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्त प्रकरणों में प्राप्त शर्तो के अधीन ले–आउट प्लान अनुमोदित किया जाता है जिसके तहत शर्तो की पालना करने हेतु खातेदारों से शपथ पत्र लिया जावें। उक्त योजना की नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा ९०ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर नियमानुसार शुल्क वसूल कर भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की जावें।

(निखिल नेहरा)
सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(अमित माहेश्वरी)
विधि सलाहकार
एवं विशेष आमंत्रित सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(अनउपस्थित)
(मालचंद शर्मा)
लेखाधिकारी
एवं विशेष आमंत्रित सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(सुभाषचंद बंसल)
अधिशाषी अभियन्ता एवं सदस्य
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(सुनीता चौधरी)
~~(कपिल यादव)~~ RAS
आयुक्त एवं सदस्य सचिव
नगरपरिषद हनुमानगढ़

(सुमित रणवा)
~~(गणेशराज बंसल)~~
सभापति एवं अध्यक्ष
नगरपरिषद हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

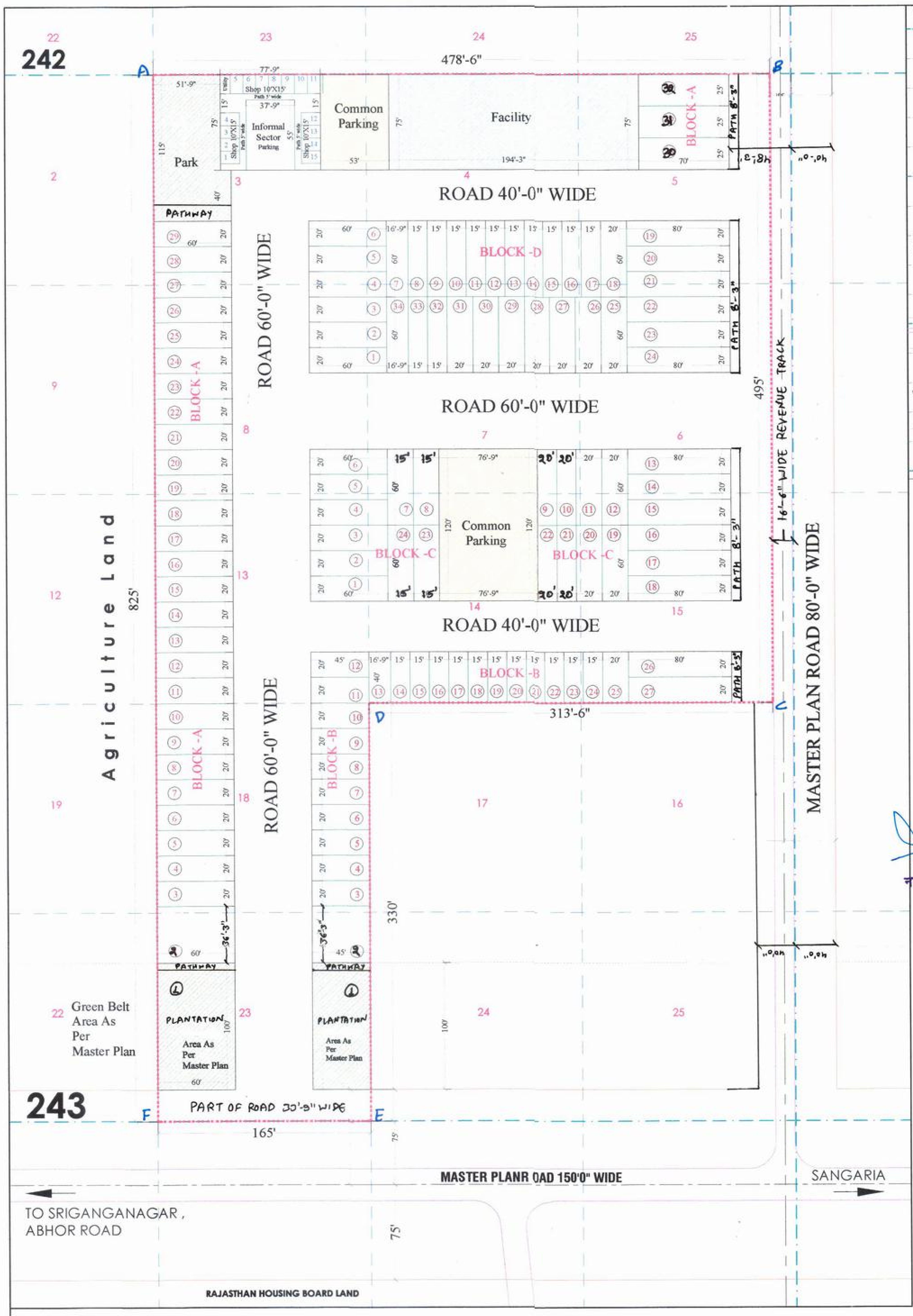

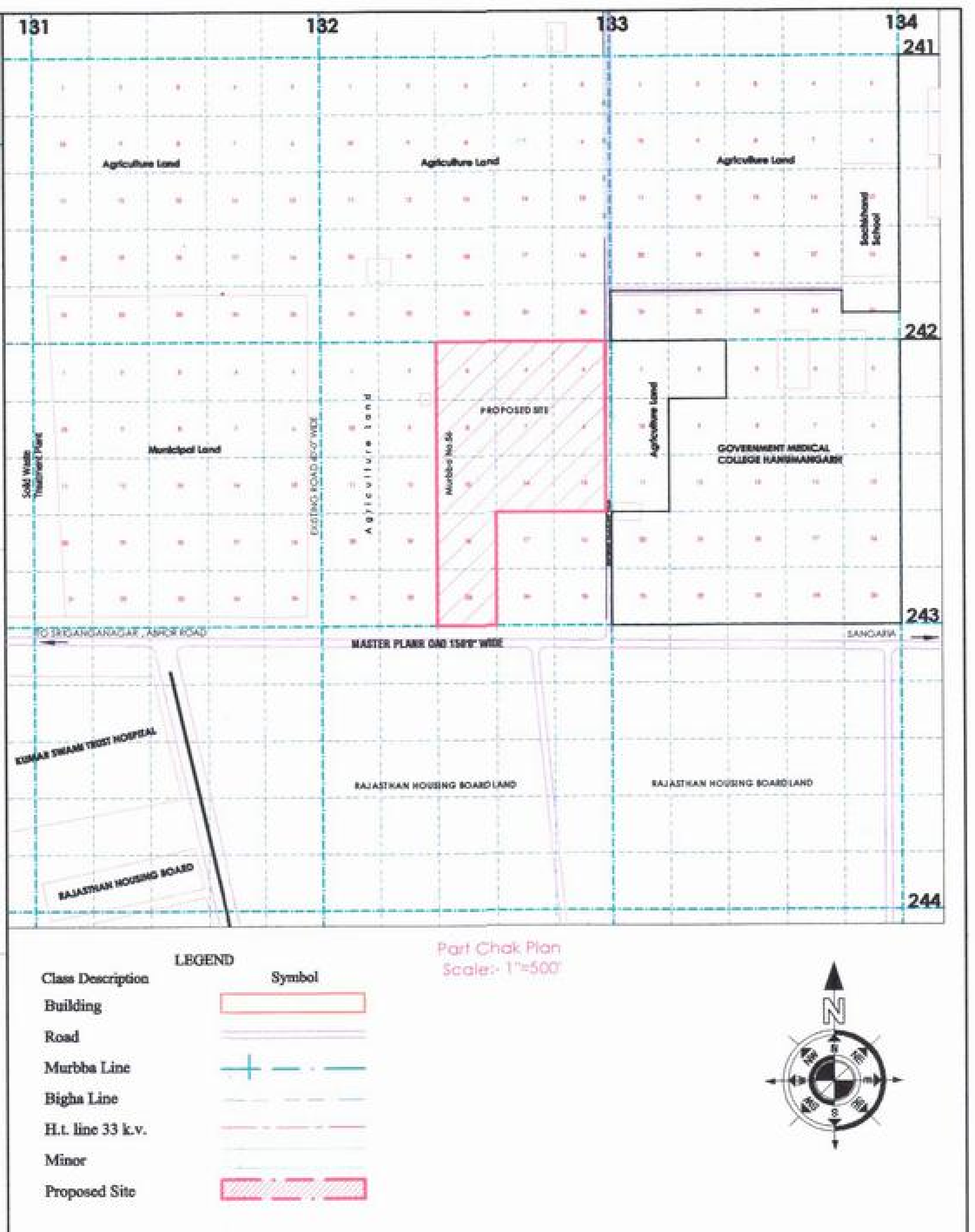

कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

सहायक नगर नियोजक
नगरपरिषद हनुमानगढ़

आयुक्त
नगरपरिषद् हनुमानगढ़

1. सैटबेक मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाईन के [illegible] क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मौके पर [illegible] एवं न्यायिक वाद की जांच निकाय स्तर पर की जानी होगी।
4. समस्त सड़कें, पार्क व [illegible] निकाय में निहित होंगे।
5. सुविधा क्षेत्रों का [illegible] के अनुसार किया जावें।
6. [illegible]
7. [illegible]

"A to F"
LAYOUT PLAN / ~~BUILDING PLAN~~ TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1291 DATED 12/12/23

Lay-Out Plan Scale:- 1"=70'
Of A-2 Paper Size

LAND USE & AREA ANALYSIS CHECKED BY-

LAND USES OF SCHEME :-			
S.No.	LAND USED	AREA IN (SQFT.)	(%)
1	Commercial	130936.25	44.95
2	Informal Sector	5831.25	02.00
3	Common Parking	13185.00 (10.00% Of Commercial Area)	04.53
4	Facility	14568.75	05.00
5	Park, Path & Plantation	16781.25	05.76
6	Roads	110005.00	37.76
	TOTAL AREA	291307.50	100.00

(रामस्वरूप चौधरी)
सहायक नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(मनीष कुमार)
उप नगर नियोजक
कार्या. वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

(राकेश [illegible])
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
बीकानेर जोन, बीकानेर

Owner's Name :-
Mrs. Manjula w/o Mr. Jitender Pal
Mr. Jitender Pal s/o Mr. Atmaram

ENGINEER'S POINT
BRANCH OFFICE:-SHOP NO. 62-63,
NEAR HEAD POST OFFICE
SRIGANGANAGAR ROAD ,
HANUMANGARH JN.
MOB:-80583-35789, 96676-48560

LAY-OUT PLAN OF COMMERCIAL SCHEME "J.M.G. PARADISE" AT NH.-54,
NEAR MEDICAL COLLEGE HANUMANGARH JN. CHAK NO. 2 N.W.N., STONE NO. 133/242, MURBBA NO. 56, KILLA NO. 3(0.253),4(0.253),5/1(0.228),6/1(0.228),7(0.253),8(0.253),13(0.253), 14(0.253),15/1(0.228),18(0.253),23(0.253), TOTAL =2.708 HECTARE AT HANUMANGARH JN., DISTT:- HANUMANGARH (RAJASTHAN.)